उपायुक्त का कार्यालय (जिला आपूर्ति शाखा) गिरिडीह।

निविदा संख्या–02/2017

अति अल्पकालीन पुनर्निविदा सूचना

गिरिडीह जिला अन्तर्गत बिरनी एवं तिसरी प्रखण्ड के लिए **Door Step Delivery** के तहत् राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत माह में आवंटित जन वितरण प्रणाली सामग्रियों की पूरी मात्रा प्रति माह झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड द्वारा संचालित विनिर्दिष्ट गोदाम से प्राप्त कर आवंटित उचित मूल्य की दुकान तक समान मात्रा एवं गुणवत्ता में समय सीमा के अन्तर्गत प्रत्येक जन वितरण प्रणाली दुकानों तक पहुँचाने हेतु परिवहन–सह–हथालन अभिकर्त्ता की नियुक्ति हेतु वित्तीय वर्ष **2017–18 एवं 2018–19 के लिए** पुनर्निविदा आमंत्रित की जाती है।

स्वीकृत निविदादाता को **जिला निविदा समिति द्वारा** निर्धारित शर्त का अनुपालन करना होगा। पुनर्निविदा प्रपत्र एवं खाद्यान्न के आवंटन से संबंधित आवश्यक जानकारी कार्यालय अवधि में दिनांक **19.04.2017** को **05:00 बजे अप0** तक प्राप्त किया जा सकता है। पुनर्निविदा पत्र हेतु जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह के पदनाम से **2500.00(दो हजार पाँच सौ)रू0** का बैंक ड्राफ्ट/आई0पी0ओ0 देना आवश्यक होगा।

दिनांक **20.04.2017 को 12:00 बजे दिन** तक पुनर्निविदा लिफाफा जमा करना होगा। उसी दिन **01:00 बजे अप0** अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में पुनर्निविदा खोला जाएगा। पुनर्निविदा खोलते समय निविदादाता या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि की उपस्थिति अपेक्षित है। निविदादाता को तकनिकी पुनर्निविदा एवं वित्तीय पुनर्निविदा के रूप में दो मुहरबंद लाह द्वारा सील लिफाफों में अलग–अलग भर कर एक साथ एक मुहरबंद लाह द्वारा सील लिफाफा में जमा करना होगा। तकनिकी पुनर्निविदा की शर्तो को पूरा करने पर ही वित्तीय पुनर्निविदा खोला जाएगा। खाद्यान्न का आवंटन सरकार से प्राप्त आवंटन के अनुसार किया जाता है। इसमें कमी या वृद्धि हो सकता है।

निविदादाता को **Rs.200000.00(दो लाख रूपये)** का राष्ट्रीयकृत बैंक का ड्राफ्ट **जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह** के नाम से सुरक्षित जमा देना होगा। जिसकी निकासी गिरिडीह में किया जा सकेगा। इसके अतिरिक्त जिला स्तरीय आवासीय प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, अद्यतन आयकर रिटर्न जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वित्तीय भाग नहीं खोला जाएगा।

पुनर्निविदा को स्वीकृत या अस्वीकृत करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।

पुनर्निविदा स्वीकृत होने पर निविदादाता को पूर्ण अवधि 31.03.2019 कार्य करना अनिवार्य होगा। बीच में काम रोके जाने पर या काम छोड़ने पर उनके द्वारा सुरक्षित जमा राशि को पूर्ण रूप से जब्त कर लिया जाएगा। साथ ही कार्यालय में लम्बित सभी प्रकार के विपत्र/राशि को भी जब्त कर लिया जाएगा। पुनर्निविदा से संबंधित शर्तें **www.giridih.nic.in** पर प्राप्त की जा सकती है साथ ही समाहरणालय के सूचना पट पर भी देखा जा सकता है।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
गिरिडीह।

10/04/17
उपायुक्त, गिरिडीह।

पुनर्निविदा शर्त

1. निविदादाता को पुनर्निविदा के साथ **Rs.200000.00(दो लाख रूपये) का राष्ट्रीयकृत बैंक का ड्राफ्ट/बैंकर्स चेक जमा करना होगा, ड्राफ्ट जो जिला आपूर्ति पदाधिकारी, गिरिडीह के नाम से भुगतेय होगा।** इसके अतिरिक्त जिला स्तरीय आवासीय प्रमाण पत्र/चरित्र प्रमाण–पत्र/ आयकर संबंधी रिटर्न की छाया प्रति भी समर्पित करना अनिवार्य होगा।
2. निविदादाता को सरकारी कर्मचारी, चयनित जनप्रतिनिधि एवं जन–वितरण प्रणाली विक्रेता या उसके निकटतम संबंधी नहीं होना चाहिए। इस आशय का शपथ पत्र निविदादाता को पुनर्निविदा पत्र के साथ देना अनिवार्य होगा। पुनर्निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् भी सत्यता की पता होने पर जमानत की राशि जब्त कर लिया जाएगा।
3. निविदादाता का परिवहन–सह–हथालन व्यय पर होने वाले खर्च एक अंकित दर ही मान्य होगा।
4. पुनर्निविदा के माध्यम से दर निर्धारण करने के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगी।
5. पुनर्निविदा की शर्तों में परिवर्तन एवं उसे बिना कारण बताये रद्द करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी को सुरक्षित होगा।
6. निविदादाता को झारखण्ड राज्य खाद्य एवं असैनिक आपूर्ति निगम लिमिटेड के गोदाम प्रभारी से परिवहन किये जाने वाले सामग्रियों का चालान (दो प्रतियों में) प्राप्त करेंगें एवं डिलीवरी के उपरान्त चालान की मूल प्रति पर अनुज्ञप्तिधारी की पावती प्राप्त करेंगें एवं दूसरी प्रति अनुज्ञप्तिधारी को हस्तगत करायेगें।
7. विभाग द्वारा आवंटन उपलब्ध कराने पर ही विपत्र का भुगतान किया जाएगा इस अवधि में कार्य प्रभावित होने पर निविदादाता की जमानत राशि जब्त कर दूसरे निविदादाता के साथ सम्बद्ध कर दिया जाएगा।
8. किसी भी परिस्थिति में जन वितरण प्रणाली के विक्रेता सम्बन्धित प्रखण्ड स्थित गोदाम में नहीं आएंगे और न ही खाद्यान्न का परिवहन में किसी प्रकार से सहयोग लिया जायेगा। ऐसी सूचना या प्रमाण मिलने पर निविदादाता को कार्य मुक्त करते हुए उनके द्वारा जमा की जमानत की राशि को जप्त कर लिया जायेगा एवं L-2 निविदादाता को L-1 दर पर कार्य दे दिया जाएगा। निविदादाताओं का दर समान (Equal) होने पर प्रखंड वासी एवं सबसे अनुभवी निविदादाता को प्राथमिकता दी जाएगी।
9. स्वीकृत निविदादाता को पूर्ण अवधि तक काम करना अनिवार्य होगा। बीच में काम रोके जाने पर या काम छोडे जाने पर उनके द्वारा सुरक्षित जमा राशि पूर्ण रूप से जब्त कर लिया जाएगा साथ ही कार्यालय में लम्बित सभी प्रकार के विपत्र को भी जब्त कर लिया जाएगा।
10. प्रखण्ड मुख्यालय से प्रखण्ड क्षेत्र अन्तर्गत सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेताओं को लगभग 1/2 KM से 50 KM की दूरी तक सभी योजनाओं के खाद्यान्न का "डोर स्टेप डिलेवरी" किया जाना है। दुकानों की संख्या घट/बढ़ सकती है। विशेष परिस्थिति में दुकानों की दूरी घट/बढ़ सकती है।

11. निविदादाता के पास स्वंय के नाम से प्रत्येक प्रखण्ड हेतु अलग–अलग कम से कम पाँच चार चक्का मालवाहक वाहन/ट्रेक्टर तथा टेलर रहने पर (दोनों निबंधित हो) अद्यतन टैक्स पेड, बीमा, फिटनेस प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। निविविदा के साथ संबंधित निविदादाता को प्रत्येक प्रखंड हेतु कम से कम सात चार चक्का मालवाहक वाहन/ट्रेक्टर तथा टेलर रहने पर (दोनों निबंधित हो), अद्यतन टैक्स पेड, बीमा, फिटनेस प्रमाण पत्र के साथ संबंधित मालवाहक वाहन के मालिक से मार्च, 2019 तक वाहन डोर स्टेप डिलेवरी कार्य में प्रयोग करने का एकरारनामा की मूल प्रति दाखिल करना अनिवार्य होगा अन्यथा उनके पुनर्निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। जाँच के क्रम में वाहनों का कागजात गलत पाये जाने पर संबंधित वाहन स्वामी के विरूद्ध मोटर वाहन अधिनियम के अन्तर्गत कार्रवाई हेतु सक्षम पदाधिकारी को प्रतिवेदित किया जायेगा। पुनर्निविदा स्वीकृति के उपरान्त डोर स्टेप डिलेवरी के कार्य में उपयोग किये जाने वाले उपरोक्त वाहनों के दोनो तरफ(आगे, पीछे को छोड़कर) पीले रंग के Background में काले अक्षर से निम्न सूचना की पेन्टिंग अनिवार्य होगी–

"जन वितरण प्रणाली के खाद्यान्न का परिवहन"

तत्पश्चात् ही कार्यादेश निर्गत किया जायेगा।

12. स्वीकृत निविदादाता के उपरोक्त सभी वाहनों में GPS System विभाग द्वारा चयनित एजेंसी द्वारा लगायां जायेगा।
13. जन वितरण प्रणाली बिक्रेताओं की दुकानों में खाद्यान्न की डिलीवरी Supply Chain Management के अन्तर्गत Online प्रक्रिया के अनुसार होगा। डिलीवरी किये गये खाद्यान्न का विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन प्रत्येक दिन जिला आपूर्ति कार्यालय, गिरिडीह को ई मेल से तथा प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी एवं प्रखंड प्रमुख को देना अनिवार्य होगा।
14. निविदादाताओं को प्रखंडवार अलग–अलग पुनर्निविदा दाखिल करना होगा।
15. निविदादाता को ब्लैक लिस्टेड नहीं होना चाहिए। इस आशय का शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।
16. निविदादाता पर अपराधिक मुकदमा नहीं चल रहा हो। इस आशय का शपथ पत्र देना अनिवार्य होगा।
17. तकनीकी बीड सही पाये जाने पर ही Financial बीड को खोला जायेगा।
18. स्वीकृत निविदादाता परिवहन कार्य को किसी अन्य को हस्तांतरित नहीं कर सकते हैं।
19. विभाग द्वारा परिवहन एवं हथालन दर अधिकतम 40.00(चालीस)रूपये प्रति क्विंटल निर्धारित है। स्वीकृत निविदादाता को पुनर्निविदा पत्र में उल्लेख किये गये वाहनों का उपयोग डोर स्टेप डिलेवरी कार्य में क्रमांक–11 में अंकित शर्तों के अनुरूप करना होगा। भविषय में विशेष परिस्थिति में वाहनों की अतिरिक्त आवश्यकता होने पर अथवा पूर्व वर्णित वाहनों के स्थान पर अन्य वाहनों के उपयोग हेतु कम से कम 15 दिन पूर्व लिखित सूचना देना अनिवार्य होगा तत्पश्चात् ही OnLine प्रक्रिया के तहत उक्त वाहन को डोर स्टेप डिलेवरी के कार्य में उपयोग हेतु अनुमति दी जायेगी।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी,
गिरिडीह।

उपायुक्त, गिरिडीह।